न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीनअधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 15/2022

अनवान : —

1. कृष्णचन्द्र पुत्र काशीराम जाति सुथार निवासी छानीबड़ी त0 भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री संदीप गौदार प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 08/7/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू. के खाता सं0 32/26 के मु0न0 18 के किला न0 13 ता 15 , 18/1, मु0न0 19 के किला न0 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, की कुल 1.392है0 नहरी खातेदारी व चक 5 सीएचएन के खाता स0 16/12 के मु0न0 8 के किला न0 3, 4/1, 8/2, 12/3 , 13/1 की कुल 0.620है0 नहरी खोतदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम कृष्णकुमार दर्ज है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम कृष्णचन्द्र है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान—पत्र, बैंक पासबुक एवं बच्चों के अंकतालिका आदि में दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम कृष्णकुमार की जगह कृष्णचन्द्र दुरूस्त करवा पाने की प्रार्थी कानूनी अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम कृष्णचन्द्र है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय कृष्णकुमार दर्ज हो

गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है । रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 32/26 के मु0न0 18 के किला न0 13 ता 15 , 18/1, मु0न0 19 के किला न0 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, की कुल 1.392है0 नहरी खातेदारी व चक 5 सीएचएन के खाता स0 16/12 के मु0न0 8 के किला न0 3, 4/1, 8/2, 12/3 , 13/1 की कुल 0.620है0 नहरी खोतदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम कृष्णकुमार के स्थान पर कृष्णचन्द्र दर्ज करवाना चाहता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का सही नाम कृष्णचन्द्र दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 32/26 के मु0न0 18 के किला न0 13 ता 15 , 18/1, मु0न0 19 के किला न0 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, की कुल 1.392है0 नहरी खातेदारी व चक 5 सीएचएन के खाता स0 16/12 के मु0न0 8 के किला न0 3, 4/1, 8/2, 12/3 , 13/1 की कुल 0.620है0 नहरी खोतदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी कृष्णकुमार के स्थान पर अपना सही नाम कृष्णचन्द्र दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक एवं बच्चों के अंकतालिका में प्रार्थी का सही नाम कृष्णचन्द्र व ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र में भी सही नाम कृष्णचन्द्र दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 32/26 के मु0न0 18 के किला न0 13 ता 15 , 18/1, मु0न0 19 के किला न0 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, की कुल 1.392है0 नहरी खातेदारी व चक 5 सीएचएन के खाता स0 16/12 के मु0न0 8 के किला न0 3, 4/1, 8/2, 12/3 , 13/1 की कुल 0.620है0 नहरी खोतदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में कृष्णकुमार के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम कृष्णचन्द्र पुत्र काशीराम जाति सुथार साकिन छानीबड़ी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि कृष्णकुमार पुत्र काशीराम जाति सुथार सा0 छानीबडी के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम कृष्णकुमार ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 03/7/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)